IV 59 10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 796289

11 DEC 2017

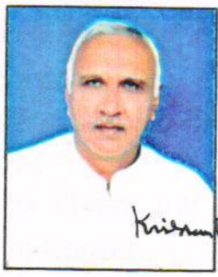

न्यास (ट्रस्ट) विलेख

मैं कि **कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री दीपचन्द निवासी ग्राम मवीकला तहसील खेकडा जिला बागपत राज्य उ0प्र0 (भारत) ID NO. UP/81/400/0654050 MOB.NO. 9412206659** का हूँ।

.... संस्थापक।

विदित हो कि मुझ मुकिर संस्थापक की यह प्रबल इच्छा रही है कि मैं मुकिर एक ट्रस्ट का गठन करूँ जो निम्नलिखित उद्देश्यो की पूर्ति के लिए कार्य करें। अतः मैं मुकिर प्रसन्नचित से बिना किसी दबाव के स्वस्थ्य मस्तिष्क की दशा मे निम्नलिखित उद्देश्यो व कृत्यों की पूर्ति के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहा हूँ तथा ट्रस्ट की स्थापना के लिए अंकन 11,000/–रु0 धनराशि नकद रूप मे दे रहा हूँ।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER

161217

क्र.स. 14 विक्रय

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ईस्टांप

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता गोल्ड एजुकेशनल कांधला द्वारा अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह

स्टाम्प की धनराशि 1000

सुभाष चन्द कंसल
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील कैराना, शामली
ला०सं०–20 अवधि 1–4–2016 से 31–3–2021 तक

THE GOLD PUBLIC SCHOOL

MANAGER

THE GOLD PUBLIC SCHOOL

PRINCIPAL

ट्रस्ट का नाम–

1. ट्रस्ट का नाम **गोल्ड ऐजुकेशनल ट्रस्ट GOLD EDUCATIONAL TRUST** होगा।

स्थान–

1. इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय दिल्ली–सहारनपुर रोड काँधला जिला शामली राज्य उ0प्र0 (भारत) होगा। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी संस्थापक की सहमति से मुख्य कार्यालय अथवा इसके अन्तर्गत कोई अन्य शिक्षा संस्थान, अन्य संस्थान भारतवर्ष मे कहीं पर भी खोल सकते है अथवा स्थानान्तरित कर सकते है और आवश्यकतानुसार विदेश मे भी कार्यालय खोल सकते है।

ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टीज–

स्थापित किए जा रहे ट्रस्ट मे संस्थापक के अतिरिक्त निम्नलिखित ट्रस्टीज होगें जिनमे से ट्रस्ट के नियमो के अनुसार सचिव व कोषाध्यक्ष बनाये जायेगें तथा निम्नलिखित ट्रस्टीयो की इच्छा के अनुरूप उन्हें ट्रस्टीज बनाया गया है जिन्होनें स्थापित किए जा रहे ट्रस्ट के नियमो व उद्देश्यो को पढ व समझ लिया है।

1. डॉ0 राजबल सिंह पुत्र श्री दीपचन्द निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत राज्य उत्तर प्रदेश MOB.NO. 9818681411

2. ओंकार सिंह पुत्र श्री दीपचन्द निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत राज्य उत्तर प्रदेश MOB.NO. 8859324073

3. श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री ओंकार सिंह निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत राज्य उत्तर प्रदेश MOB.NO. 9759739295

4. अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी बी0– 847 एम0आई0जी0डी0डी0ए0 फलेटस ईस्ट ऑफ लोनी रोड शाहदरा दिल्ली MOB.NO. 9311211620

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य–

1. यह कि ट्रस्ट उक्त राशि अंकन 11,000/–रु0 जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य मे ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद, राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टी को समय–समय पर धारण करेंगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टी आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगें।

उक्त ट्रस्ट को समस्त भारतवर्ष मे से तथा अन्य किसी भी देश–विदेश से कही से भी दान प्राप्त करने का सहयोग प्राप्त करने का ट्रस्ट के उचित संचालन हेतु कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा।

2. यह कि ट्रस्टी फण्ड तथा ट्रस्ट जिसकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा सर्व धर्म के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य तथा शिक्षण संस्थाओ व कार्याशालाओ की स्थापना एवं संचालन सुविधा के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा ट्रस्टी को समय–समय पर आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के उद्देश्य मे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER

न्यास पत्र

प्रतिफल -	11000	स्टाम्प शुल्क-	1000	बाजारी मूल्य -	0
पंजीकरण शुल्क -	500	प्रतिलिपिकरण शुल्क -	80	योग :	580

श्री कृष्णपाल सिंह

पुत्र श्री दीपचन्द

व्यवसाय : कृषि

निवासी: नि० मवीकलां तह० खेकडा जिला बागपत राज्य उत्तर प्रदेश भारत

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/12/2017 एवं 03:09:40 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शामली कैराना उपनिबंधक

उप निबंधक : कैराना

शामली

THE GOLD PUBLIC SCHOOL

MANAGER

THE GOLD PUBLIC SCHOOL

PRINCIPAL

3. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यो को पूर्ति के लिए ट्रस्टी को समय–समय पर भूमि का ग्रहण/अधिग्रहण/सरकारी/गैर–सरकारी संस्थाओ/व्यक्तियो संस्थाओ या विभागो मे पूर्ण अधिकारी होगा।

4. यह कि उद्देश्य के अतिरिक्त स्थापित उद्देश्यो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टी ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समक्ष या किसी भाग को शिक्षा के क्षेत्र मे सामाजिक क्षेत्र मे जितनी मात्रा मे चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

5. यह कि समाज के सम्पन्न वर्ग को सामाजिक, धार्मिक कार्यो मे अपने धन को खर्च करने की प्रेरणा देना।

6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर–सरकारी, संस्थाओ, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि से नकद दान एवं वस्तु के रूप मे सहायता स्वीकार करना।

7. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों पूर्ति हेतु खरीद, दान, पट्टे आदि के द्वारा भूमि अर्जित करना अथवा भवन निर्माण एवं अस्थायी सम्पत्तियों का निर्माण करना।

8. यह कि समाज को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण, आपदा प्रबन्ध आदि जनहित कार्यो के लिए जागरूक करना।

9. यह कि स्कूल पब्लिक स्कूल, कालिज तकनीकी आई0टी0आई0 जे0ई0 व फार्मा शिक्षण संस्थाओ की स्थापना व संचालन कराना। सभी प्रकार के स्कूल व ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षण प्रशिक्षण तथा बी0टी0सी0, बी0एड0 प्रबन्धन आदि के शिक्षा सम्बन्धी सभी कोर्स हेतु कालिजो की स्थापना करना व संचालन करना।

10.शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

11.शैक्षिक किताबों व पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

12.मेडिकल कालिज, डेन्टल कालिज एवं अस्पताल व विश्व विद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

13.इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।

14.अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्रदान करना तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चो को देना।

15.सरकारी सहायता/गैर–सरकारी सहायता/विदेशी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनाकर उसे बढाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियो को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

16.अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओ का संचालन एवं स्थापना करना।

17.प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों मे पेड लगाना जिससे प्रदुषण कम हो खाली पडी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

18.निरीह प्राणियो, पशु एवं पक्षियो की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयो की स्थापना व व्यवस्था करना।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL Krishna Pal Singh

PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOO

MANAGE

19.स्कूल व कालिज मे छात्रों/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
20.कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।
21.समस्त मानव एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।
22.ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रय शुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।
23.ट्रस्ट का उद्देश्य की आय बढाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।
24.ट्रस्ट का उद्देश्य योग, आध्यात्म, गौ–रक्षा एवं वैदिक संस्कृति का प्रचार करना।
25.छात्र एवं छात्राओं के उत्थान हेतु सभी प्रकार के शिक्षक–प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना।
26.छात्र एवं छात्राओं के उत्थान हेतु सभी प्रकार के मैनेजमैन्ट कोर्स के महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना।
27.छात्र एवं छात्राओं को उपयोगी नागरिक बनाने हेतु ग्रहस्थ जीवन, उपयोगी कला कौशल आयुर्वेदिक विज्ञान, शिशु–पालन पाक शास्त्र, सिलाई, कढाई, बुनाई, रंगाई हथकरघा आदि एवं क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का प्रबन्धक करना।
28.सी0बी0एस0सी0 व आई0सी0एस0सी0 व यूपी बोड की कक्षा 1 से 12 तक पब्लिक स्कूलों की स्थापना करना व प्रबन्ध व नियन्त्रण व संचालन करना।
29.ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे निरक्षरता को दूर करने हेतु विद्यालय खोलना एवं संचालन करना व खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना व संचालन करना तथा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराना।
30.समाज मे शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक के शिक्षण संस्थाओ की स्थापना कराना तथा उसका संचालन करना।
31.समाज के पिछडे हुए और उपेक्षित वर्ग के लोगो के शैक्षणिक सामाजिक विकास हेतु प्रयत्न करना। छात्रवासो, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन व बालसदन विद्यालयों स्कूलों एवं खेलकूद शिक्षण संस्थानो की स्थापना सर्वधन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना व प्रबन्ध नियन्त्रण व संचालन करना।
32.वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो और वैधानिक हो।
33.गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न जगहों पर शिविर लगाना, दवाईया का वितरण करना, रोगो की जॉच करना एवं उचित इलाज हेतु चिकित्सक उपलब्ध कराना।

कार्यक्षेत्र–

यह कि ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र सभी जिलो एवं सभी राज्यो व समस्त भारतवर्ष मे होगा तथा आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की शाखाऍ विदेश मे भी खोली जा सकेगी तथा शाखाऍ ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए तहसील स्तर या जिला स्तर पर व सम्पूर्ण भारत मे स्थापित की जा सकती है।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER

ट्रस्ट की निधियॉ–

ट्रस्ट की निधियों व निम्नलिखित सम्मिलित होगा।
1. संस्थापक ट्रस्टीज द्वारा दिया गया दान।
2. समाज के अन्य व्यक्तियो द्वारा दिया गया।
3. ट्रस्ट द्वारा अपने उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कराये गये कार्यक्रमों से दान स्थापित इकाई की आय तथा ब्याज से प्राप्त आय व अनुदान आदि।
4. ट्रस्ट की निधियों से प्राप्त ब्याज आदि।
5. सरकारी/गैर–सरकारी स्वायत संस्थाओ व्यापारिक संस्थाओ से प्राप्त दान/अनुदान, उपहार, नकद अथवा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति इत्यादि।
6. अन्य आय।

प्रबन्धन–

1. ट्रस्ट का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किया जायेगा।
2. यदि कोई सदस्य ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यो के विरूद्ध कार्य करेगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि बहुमत के आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर उसका निष्कासन किया जाये ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष की सहमति आवश्यक एवं निर्णायक होगी।
3. ट्रस्ट के कार्यो के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किए जायेगें किसी भी विवाद अथवा असहमति की स्थिति मे अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
4. यदि कोई ट्रस्ट से प्रथक होना चाहे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बहुमत के आधार पर उसका त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगा एवं उसके रिक्त स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन कर सकता है। ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष की सहमति अनिवार्य होगी।
5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के लिए सदस्यो की संख्या सम्पूर्ण सदस्यो की संख्या का 1/2 होना आवश्यक है।

ट्रस्ट की कार्यकारिणी व कार्यकारिणी का कार्यकाल–

ट्रस्ट की संस्थापक कार्यकारिणी निम्नप्रकार होगी तथा संस्थापक कार्यकारिणी का प्रत्येक पदाधिकारी/सदस्य जीवन पर्यन्त (लाईफ टाईम) पदाधिकारी/सदस्य रहेगा। पदाधिकारी/सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके स्थान पर उसका ऐसा पुरूष उत्तराधिकारी पदाधिकारी/सदस्य बनेगा जिसे अन्य सभी मृतक के उत्तराधिकारी मान्यता दें तथा मृतक के पद व हैसियत को धारण करेगा।
1. ट्रस्ट के संस्थापक श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री दीपचन्द निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत अध्यक्ष होगें।
2. ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी बी0 839 एम0आई0जी0डी0डी0ए0 फ्लैटस् ईस्ट ऑफ लोनी रोड शाहदरा दिल्ली कोषाध्यक्ष होगें।
3. ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ0 राजबल सिंह पुत्र श्री दीपचन्द निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत सचिव होगें।
4. ट्रस्ट के ट्रस्टी ओंकार सिंह पुत्र श्री दीपचन्द निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत राज्य उत्तर प्रदेश सदस्य होगें।

5. ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री ओंकार सिंह निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत राज्य उत्तर प्रदेश सदस्य होगें।

अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार–

1. ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित शिक्षा संस्थाओ व अन्य संस्थानो के अध्यक्ष स्वंय रहेगें या अन्य किसी को अधिकृत करेंगे तथा शिक्षण संस्थाओ के लिए कमेटियो निदेशक एवं अन्य कर्मिको की नियुक्त बोर्ड की सहमति से करना।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठको की अध्यक्षता करना।
3. विषय सूची के बाहर कोई भी प्रस्ताव रखने की स्वीकृति प्रदान करना।
4. ट्रस्ट की तरफ से इकरारनामा/बैनामा कराना।
5. बैंक या अन्य किसी संस्था से ऋण लेना तथा न्यायालय मे या सरकारी दफ्तरो मे ट्रस्ट के कार्यो की पैरवी करना।
6. किसी भी शिक्षण संस्था मे कमेटी गठित करना।
7. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना एवं न्यायालय एवं अन्य सभी सरकारी/गैर–सरकारी विभाग सम्बन्धी कार्य करना।

सचिव के कार्य एवं अधिकार–

1. ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व सचिव का होगा।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अथवा उसकी समिति, उपसमितियों की बैठक बुलाना एवं उन बैठको मे उपस्थित रहकर उनका ब्यौरा रखना।
3. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के समस्त प्रस्तावो की कार्यवाही रजिस्टर मे लिखना एवं भविष्य की योजनाओ से बोर्ड को अवगत कराना एवं अनुमति प्राप्त करना।

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार–

1. आय–व्यय का लेखा रखना तथा अंकेक्षण कराकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को प्रस्तुत करना।
2. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति के कागजात रखना और उसकी देखभाल करना।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कार्य एवं अधिकार–

अ. सभी सैद्धान्तिक निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा बहुमत के आधार पर किए जायेगें।

ब. उपरोक्त सामान्य अधिकारों के अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को निम्न अधिकारी होगें–

1. सचिव द्वारा किए गये आय–व्यय के लेखो को अपनी स्वीकृति प्रदान करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु किए गये व्ययो की स्वीकृति प्रदान करना।
3. ट्रस्ट के कार्य हेतु नियम व उपनियमो की रचना करना एवं समय–समय पर उन परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन करना।
4. आवश्यकता पडने पर विशेषज्ञ, सलाहकार अथवा कर्मचारियो की नियुक्ति करना एवं उनके अधिकारों की परिभाषा करना।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL

PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL

MANAGER

5. ट्रस्ट की संचित निधियो को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानो के अनुसार ट्रस्ट के धन को जो तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूमियो या अन्य किसी रीति निवेश हेतु अध्यक्ष एवं सचिव को निर्देशित करना।
6. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता चाहे सहायता नकद अथवा चल व अचल सम्पत्ति के रूप मे हो, स्वीकार कर सकता है। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं मूल सिद्धान्तो के विपरीत न हो, ट्रस्ट के कोष मे अतिरिक्त धन होने पर राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर अथवा किसी सरकारी उपक्रम मे ही जमा किया जायेगा किसी प्राईवेट कम्पनी आदि मे नही तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार उचित मूल्य मिलने पर ही हस्तान्तरण किया जा सकेगा।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु भूमि अथवा चल व अचल सम्पत्ति का अर्जन या खरीदना एवं उस पर भवन तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण करना।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए अध्यक्ष व सचिव द्वारा किए गये खर्चो की अनुमति प्रदान करना व उनका भुगतान करना।
9. संस्था की आवश्यकताओ के अनुसार बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानो से ऋण प्राप्त करना एवं ऋण प्राप्त करने की प्रतिभूती हेतु ट्रस्ट की सम्पत्तियो को बन्धक रखना।
10.बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वो ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कार्य आवश्यकतानुसार कर सकें।
11.ट्रस्ट की अतिरिक्त चल व अचल सम्पत्ति को उचित मूल्य पर स्थानान्तरित करना।
12.ट्रस्ट को चलाने के लिए समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ परामर्शीय व्यक्ति या अभिकर्ता व अर्टानी, जो आवश्यक समझे ऐसे पारिश्रमिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनो तथा शर्तो पर जो वह उचित समझे नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यो की क्रियान्वित करने के लिए ऐसे व्यय करना और इस प्रयोजनो को लिए किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित समस्त शक्तियो से उसे विनिहित करना।
13.न्यायालय मे या उसके बाहर समस्त वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियो के संस्थिति करना, प्रतिरक्षा करना और ऐसा कोई या समस्त वाद, कार्यवाही या अन्य कार्यवाहिया, मतभेद और मॉगे मध्यस्थ को निर्दिष्ट करना और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखो को समायोजित करना, तय करना और उनसे सम्बन्धित सभी कार्य करना।

ट्रस्ट के नियम–

1. बोर्ड आफ ट्रस्टी की मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगें।
2. बोर्ड की मीटिंग कम से कम 6 माह मे एक बार अवश्य करनी होगी। बोर्ड की बैठक के लिए न्यूनतम दो सदस्य अथवा कुल सदस्यों का 1/2 जो भी अधिक होगा की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा। किसी परिस्थिति मे समान बहुमत के होने पर निर्णय करने की अधिकार अध्यक्ष को होगा।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHO
MANAG

5. विशेष परिस्थितियो मे बैठक मे प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव डाक द्वारा सभी सदस्यो को वितरित किया जायेगा। ऐसे प्रस्तावो के पारित माने जाने हेतु कम से कम आधे सदस्यो एवं अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होगी।

6. शिक्षण संस्थानो मे कमेटी गठित करना।

7. साधारण प्रस्ताव पास करके पंजीकृत कार्यालय का स्थान बदला जा सकता है तथा बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी भी नये वैधानिक उद्देश्यो को जोडा जा सकता है।

8. समस्त वैधानिक कार्य तथा ट्रस्ट के विरूद्ध या ट्रस्ट द्वारा योजित वादो मे पैरवी अध्यक्ष अपने हस्ताक्षरो से करेगें और अदालती/कार्यालयों की कार्यवाही मे उपस्थित होकर ब्यान आदि करेंगें तथा ट्रस्ट की ओर से वकील की नियुक्ति व अपील आदि भी अध्यक्ष अपने हस्ताक्षरो से ही करेंगें तथा अध्यक्ष द्वारा लिया गया ट्रस्ट हित मे निर्णय अन्य पदाधिकारियो व ट्रस्टीयो पर बन्धनकारी होगा।

9. यह ट्रस्ट सम्पूर्ण भारतवर्ष मे ग्राम व तहसील व ब्लार्क व जिला स्तर पर शिक्षा के उत्थान व ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए हायर सेकेण्ड्री व सीनियर सेकेण्ड्री व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालयो की स्थापना कर सकेगा।

10. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट के हक मे निष्पादित होने वाले सभी दस्तावेजो के पंजीकरण के लिए उपनिबन्धक कार्यालय मे उपस्थित होकर दस्तावेज का निष्पादन व पंजीकरण करायेगा।

11. ट्रस्ट किसी भी नियम या उद्देश्य को यदि बदलता है या नया स्वरूप गठित करता है तो अध्यक्ष वर्तमान ट्रस्ट का एक पूरक पत्र उपनिबन्धक कार्यालय मे लिखित व हस्ताक्षरित कराकर पंजीकृत करा सकता है।

बैंक खाते व उनका संचालन–

बोर्ड अध्यक्ष ट्रस्टीज मे दो पदाधिकारी अपने हस्ताक्षरो से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्थान मे ट्रस्ट के नाम से चालू खाता व बचत खाता आदि खोल सकते है तथा उनमे से कोई भी एक खाते का संचालन कर सकता है। ये पदाधिकारी अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष मे से दो हो सकते है।

ऋण–

ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थाओ व अन्य से ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है तथा ऋण के लिए समस्त कार्यवाहियो पर वैधानिक रूप से अपने हस्ताक्षर कर सकता है व गारण्टी दे सकता है। अध्यक्ष द्वारा किया गया कार्य अन्य सभी पदाधिकारियो व ट्रस्टीयो पर बन्धनकारी होगा।

ट्रस्ट के खाते व लेखा अंकेक्षण–

1. स्थापित ट्रस्ट अपना प्राप्ति व भुगतान खाता व आर्थिक चिट्ठा व एजेण्डा व कार्यवाही लेखा पुस्तको को लिखित करायेगा और सुरक्षित रखेगा।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER

2. ट्रस्ट के खाते व अन्य अभिलेख कोषाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से रखे जायेगें कोषाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विधि सम्मत वार्षिक लेखे तैयार करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करें।
3. ट्रस्ट के वार्षिक लेखे प्रतिवर्ष चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित कराये जायेगे एवं अंकेक्षण का व्यय ट्रस्ट वहन किया जायेगा।

ट्रस्ट द्वारा विद्यालय चलाने की दशा मे सामान्य नियम–

1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
2. विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चो के लिए संरक्षित होगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से आवश्यकता पडने पर अनुदान की मॉग की जा सकती है। यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड नई दिल्ली/काऊन्सिल फोर दी इण्डियन स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नई दिल्ली से प्राप्त होगी तो उक्त परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
4. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
5. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
6. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओ मे रखा जायेगा।
8. यू0पी0 एजूकेशन कोड की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रो को शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।
9. उक्त शर्तो मे बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के लिए परिवर्धन/परिवर्तन/संशोधन नही किया जायेगा।

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER

10.विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अमानत अथवा ऋण, दान, अनुदान प्राप्त करना तथा उसको चैरिटेबल कार्यो मे व्यय करना।

गवाह–

1– मोहन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार
निवासी मौह0 पीपलोतला कस्बा कैराना।
ID NO. KQZ3950789 MOB.NO. 9568920939

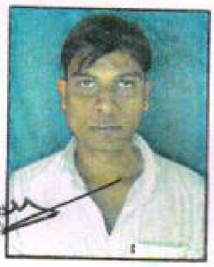

2– प्रवीण कुमार गर्ग पुत्र श्री नरेशचन्द वैश्य
निवासी मौह0 गगनविहार शामली।
ADHAR NO. 9323 0628 8514 MOB.NO. 9897428750

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER

IV 59

इस वास्ते यह ट्रस्ट डीड लिखा दी है कि प्रमाण रहे और काम आवें। ड्राफ्टकर्ता– प्रवीण कुमार गर्ग एडवोकेट कैराना। स्थान– कैराना। दिनांक– 16.12.2017

PARVEEN K. GARG
M.COM L.L.B ADVOCATE
Reg No. 7963/07
KAIRANA- SHAMLI

THE GOLD PUBLIC SCHOOL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER

आज दिनाँक 16/12/2017 को बही संख्या 4

एवं जिल्द संख्या 17 पृष्ठ संख्या 61 से

88 पर क्रमांक 59 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शामली कैराना उपनिबंधक

उप निबंधक : कैराना

शामली

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL

THE GOLD PUBLIC SCHOOL
MANAGER